

आज दिनांक 18.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता सुभाष पुत्र रामकृपाल निवासी माझा चहोरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 556 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल:- प्रभारी चौकी पौली उ0नि0 श्री दीपक दूबे मय हमराह।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता आशा देवी पत्नी प्रभु निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 211 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल:- हे0का0 धर्मनाथ यादव, म0का0 सुमन यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 नफर वारण्टी नाम पता 1- रमेश यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव निवासी रेलवे स्टेशन रोड 2- शम्भूबारी पुत्र पाटेश्वरी निवासी गोलाबाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री गयासुद्दीन खां, उ0नि0 श्रीमती प्रतिभा सिंह मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सोनी होटल से इवेन्ट संख्या 00729 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति (हिमांशु प्रजापति पुत्र धीरेन्द्र प्रजापति निवासी लक्ष्मीपुर थाना महुवाडीह जनपद देवरिया) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा समय पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी प्रवेश मौर्य, हो0चा0 शिवानन्द चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 160 वाहनों से 106500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 18.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 160 वाहनों से 106500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।